

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

/// विविध आदेश ///

कमांक 272 /

/ दो-15-3 / 90

रीवा, दिनांक 29 / 12 / 2025

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के एम.सी.आर.सी. कमांक 53351/2025 में पारित आदेश दिनांक 17/12/2025 के आलोक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय) की न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण कमांक-76/2024 म0प्र0 शासन वि0 ओम प्रकाश दुबे एवं अन्य को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री यशपाल सिंह, 16वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क0 6464 /

/ दो-15-3 / 90

रीवा, दिनांक 29 / 12 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. श्री यशपाल सिंह, 16वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा।
2. 19वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा म.प्र.।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जू0सि0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)